नकद / चेक
जमा पर्ची

डीसीबी बैंक

तिथि:		
पूरा नाम:		
खाता क्रमांक		
विशिष्टताएं	**₹**	**पैसे.**
कुल		

कुल राशि ₹ (शब्दों में) _____

_____ सिर्फ

टीएसई / अधिकारी का हस्ताक्षर
चेक का भुगतान होने पर

कॉल टोल फ्री: 1800 209 533
ईमेल: customercare@dcbbank.com

डीसीबी बैंक लिमिटेड

नकद / चेक जमा पर्ची

डीसीबी बैंक

तिथि:_____

मेरा खाता _____शाखा में है _____शाखा में जमा किया गया

पूरा नाम:						
खाता ख्रमांक – 14 – अंकों का खाता क्रमांक डालें						
टेली क्रमांक			मोबाइल क्रमांक			
बैंक व शाखा	**शहर**	**चेक क्रमांक**	**नकद का विवरण**	**संख्या**	**₹**	**पैसे**
			₹ 1000 x			
			₹ 500 x			
			₹ 100 x			
			₹ 50 x			
			₹ 20 x			
			₹ 10 x			
			₹ 5 x			
कुल राशि ₹ (शब्दों में) _____				**सिक्के**		
_____ सिर्फ				**कुल**		

पैन/जीआईआर क्रमांक *(₹ 50,000 और अधिक नकद जमा के लिए)* →

चेक / ड्राफ्ट का प्रकार

☐ स्थानीय क्लियरिंग ☐ बाहरी संग्रहण ☐ स्थानांतरण (डीसीबी बैंक चेक)

जमाकर्ता के हस्ताक्षर

- कृपया नकद/स्थानीय/ बाहरी/स्थानांतरण वाले चेकों के लिए अलग–अलग जमा पर्चियों का प्रयोग करें
- कृपया हर चेक के पीछे अपना 14–अंकों वाला खाता क्रमांक लिखें

डीसीबी बैंक लिमिटेड

इस फॉर्म/दस्तावेज़ का अंग्रेजी भाषा के मुख्य संस्करण (मास्टर वर्ज़न) से अनुवाद किया गया है.
अनुवाद वाले संस्करण में कोई गड़बड़ी पाए जाने पर मुख्य संस्करण का अवलोकन किया जाना चाहिए.

शर्तें

1. जमा किये गये आइटमों का आगे सत्यापन किया जायेगा और किसी गड़बड़ी के लिए उनकी जांच की जायेगी जिनकी जानकारी खाताधारक को दी जायेगी.
2. यह जमापर्ची सिर्फ काउंटर पर जमा का रिकॉर्ड है और इसे क्रेडिट सलाह के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए. क्रेडिट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में दिखाया जायेगा.
3. शहर में अन्य बैंकों पर ड्रॉ किये गये आइटमों को क्लियरिंग हाउस के नियमों/निर्देशों के अनुरूप भेजा जायेगा.
4. शहर से बाहर के बैंकों पर ड्रॉ किये गये आइटमों को संग्रहण के लिए भेजा जायेगा और भुगतान होने के बाद हमारी शुल्क व प्रभार अनुसूची के अनुरूप हमारा कमीशन और अन्य खर्चों को काटने के बाद राशि क्रेडिट की जायेगी.
5. बैंक सिर्फ खाता धारक के संग्रहण एजेंट के रूप में काम करता है और वह आइटमों के भुगतान या किसी हस्ताक्षर की सत्यता, वैधता और उसके सही होने के प्रति और उस पर दिखे पृष्ठांकन के लिए कोई जवाबदेही नहीं लेता. किसी भी कारणवश बिना भुगतान के वापस लौटने वाले आइटमों के भुगतान के लिए खाता धारक पर शुल्क लगाया जायेगा इस बात की परवाह किये बिना कि ऐसे आइटम खाताधारक को लौटाये गये हैं.
6. आइटम / चेक खाता धारकों के जोखिम और जवाबदेही पर बैंक के विवेकानुसार कुरियर / मेसेंजरों / मेल या किसी अन्य तरीके से क्लियरिंग हाउसों / सहवर्ती बैंकों को भेजे या अन्य बैंकों से संग्रहित कराये जायेंगे और इस दौरान होने वाली किसी हानि या विलंब के लिए बैंक जवाबदेह नहीं होगा.
7. ₹ 50,000/- व ऊपर की नकद जमा के संबंध में आयकर विभाग द्वारा जारी किये गये पर्मानेंट अकाउंट नम्बर (पैन) का उल्लेख दिये गये स्थान में अवश्य किया जाना चाहिए.

Oct 15 / 1.6